# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 14/22 GCMS NO 2022/21

1. जमना देवी पत्नि देवनारायण जाति गुर्जर
2. काली देवी पत्नि श्योजी जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम चौसाला तहसील चाकसू जिला जयपुर

अपीलांट

बनाम

1. रामविलास पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी खेडा
2. रामनिवास पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी खेडा
3. ज्ञानचंद पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी खेडा
4. रतनलाल पुत्र मूल्या निवासी खेडा
5. तीजू पुत्री मूल्या निवासी खेडा
6. छोटा पुत्री मूल्या निवासी खेडा समस्त जातियान मीना निवासीयान खेडा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 08/2021 निर्णय दिनांक 13.4.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, बौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री घनश्याम जाट

अभिभाषक रैस्पो0 कोई उपस्थित नही

दिनांक 25.11.2024

## निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरूद्व निर्णय दिनांक 13.4.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, बौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो/प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत अपीलांट संख्या 1 व 2 तथा अन्य के विरूद्व इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 433,434,435,436 वाके ग्राम खेडा तहसील बौली मे स्थित है। जिस पर आने जाने हेतु व कृषि यंत्र आदि लाने व ले जाने मे असुविधा होती है। उक्त आराजी के उत्तर मे आराजी ख0न0 437,438,439 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी है तथा ख0न0 448 अप्रार्थी संया 3 ता 6 की खातेदारी मे है। इसमे आमजन आते आते रहते है लेकिन राजस्व नक्शे मे डोटेड रास्ते मे दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीयान एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 उसे रास्ते दर्ज करने मे सहमत है। ख0न0 595 रकबा 0.24 है0 , 597 रकबा 0.66 है0 जो अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 12 की [illegible] दर्ज है। इस आराजी मे से नजरी नक्शे के अनुसार दर्शित बेगनी रंग की भूमि [illegible] विवाद है। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 12 उक्त नजरी नक्शे अनुसार रास्ता [illegible] प्रार्थीगण मुआवजा देने को सहमत है। इससे आगे उत्तर मे ख0न0 589 रकबा 1.51 है0भूमि से खातेदार अप्रार्थी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:59:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

13 लगायत 18 अपनी भूमि मे से राजस्व नक्शे अनुसार रास्ता देने को सहमत है। ख0न0 569 एवं 572 पर उक्त रास्ता पहुँचता है जिसके अप्रार्थी संख्या 22 खातेदार है। केवल मात्र विवाद ख0न0 596 व 597 मे से रास्ते की भूमि का है। जिसे मुताबिक नजरी नक्शे राजस्व रिकार्ड मे अमल किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 की और से कोई उपस्थित नहीं होने से बहस अपीलांट अधिवक्ता की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता का स्पष्ट उल्लेख नही किया तथा अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत जबाब का विवेचन किये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से इस आशय की रिपोर्ट चाही गई थी कि प्रार्थी/रेस्पो0 की आराजी मे सुगमता से आने जाने का रास्ता उपलब्ध है अथवा नही ? यदि है तो क्या रास्ते की आवश्यकता है। नही है और उपलब्ध  नही है तो कम से कम भूमि के इस्तेमाल से सुगम रास्ता उपलब्ध हो सके। इस प्रकार की रिपोर्ट चाही जाने पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 22.2.22 से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमे 6072 वर्गमीटर भूमि उपयोग मे आने बाबत अंकन किया गया। जबकि तहसीलदार ने अपनी मौका रिपोर्ट मे मौके पर रास्ता है या नही इसका अंकन नही किया। जबकि अपीलांट द्वारा जवाब मे स्पष्ट उल्लेख किया कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 के आने जाने हेतु दो अन्य रास्ते उपलब्ध है। जिसका विवेचन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे नही किया गया। धारा 251 ए उस सूरत मे लागू होती है जब विधमान अवस्थिति मे रूकावट की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थीगण संख्या 7 को पक्षकार बनाया गया है जबकि प्रार्थी संख्या 7 मृत व्यक्ति है जिसके विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जब आदेश पारित किया जा सकता है जब किसी खातेदार का रास्ता बंद कर दिया गया हो तो उस रास्ते को खुलवाया जा सकता है। रेस्पो0 द्वारा गलत रूप से अपीलांट को हैरान परेशान किये जाने के उद्वेश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। तहसीलदार बौली से प्राप्त रिपोर्ट के अंतिम पैरा मे अंकित किया है कि उक्त भूमि मे से खातेदारी भूमि पर डोटेड रास्ते को छोडकर अन्य प्रस्तावित भूमि पर मौके पर फसल खडी है एवं आने जाने हेतु मौके पर रास्ता नही बना हुआ है। उपरोक्त रिपोर्ट हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा [illegible] गई है। जिसमे मौके पर फसल खडी होने का अंकन है। इस प्रकार [illegible] खातेदारी भूमि मे से रास्ता देने का प्रावधान नही है। अपीलांट द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 ता 26 से कोई [illegible] नही चाहे जाने  के कारण पक्षकार नही बनाय गया है। प्रार्थीगण/रेस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र  मे यह दर्शाया गया है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:59:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के दोनो तरफ किस किस खातेदार के खेत आमने सामने है जिनके मध्य होकर रास्ता निकालना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 22 के खेतो मे जाने हेतु पहले से रास्ता पूर्व दिशा की और पुख्ता सडक मे होकर मौजूद है तथा अब तक वे लोग पूर्व दिशाा की और से अपने खेतो मे आते जाते रहे है। प्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत ख0न0 433,434,435, 436 के दक्षिण दिशा मे होकर सी सी रोड बना हुआ है। इस कारण अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है। खातेदारी खेत संख्या 448 के आगे किसी भी खातेदार ने प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की मांग प्रार्थी बनकर नही की है इस कारण उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। खातेदारी की आराजीयात मे से नया रास्ता नही दिया जा सकता है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे।

अपीलांट अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थी/रेस्पो0द्वारा आराजी ख0न0 433,434,435,436 पर आने जाने हेतु रास्ता प्रदान किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार बौली से प्रार्थी/रेस्पो0 की आराजीयात पर पहुॅचने हेतु लघुतम रास्ते के संबंध मे रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बौली से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/रेस्पो0 की आराजीयात पर पहुॅचने हेतु कुल 6072 वर्गमीटर रास्ते की आवश्यकता होना अंकित किया गया है। किसी खातेदार की भूमि पर यदि पूर्व से रास्ता मौजूद नही होता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए तहत रास्ता प्रदान किये जाने का कानून मे प्रावधान है। यदि खातेदार की भूमि पर पहुॅच हेतु बैकल्पिक रास्ता नही होता है तो न्यायालय स्वविवेक के आधार पर सुगमता एवं लघुतम दूरी का रास्ता किसी भी खातेदार/राजकीय भूमि मे से रास्ता प्रदान कर सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता एवं अन्य कोई बैकल्पिक रास्ता मौजूद नही होने से डीएलसी दर की दुगनी राशि राजकोष मे जमा कराये जाने की शर्त पर रास्ता प्रदान किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि अनुरूप होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली के प्रकरण संख्या 08/21 निर्णय दिनांक 13.4.22 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को लिखाया जाकर मेरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:39:54 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मीकांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner